कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
जनपद–रुद्रप्रयाग।

पत्रांकः– सी0एम0ओ0 / एन0एच0एम0 / एन0टी0सी0पी0 / कोटपा / 2021–22 / 4124-A दिनांक 16.03.2022

विषयः– सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय एवं संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन करने / करने हेतु सभी सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किया जाना है जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र– इस परिसर में '' धूम्रपान करना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने पर रू0 200.00 तक का जुर्माना किया जायेगा'' बोर्ड की आकृति (60cmX30cm) का प्रदर्शन किया जाय। जिन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने कार्यालयों में उक्त बोर्ड लगाये जा चुके हैं उन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा तम्बाकू / धूम्रपान मुक्त कार्यालय का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्राग की इ–मेल ncdrudraprayag@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

2. उक्त अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु प्राधिकृत / कर्मचारी का नामित किया जाय जो कि उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाहीं को सम्पादित कर सके।

3. कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार अधिकतम रू0 200.00 तक का अर्थदण्ड किये जाय।

4. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गयी अर्थदण्ड कार्यवाहीं की रिर्पोट प्रत्येक माह की 04 तारीख तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग की इ–मेल ncdrudraprayag@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

5. जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ट, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा पूर्व में आपको अर्थदण्ड बुकलेट उपलब्ध करायी जा चुकी है।

अतः उक्तानुसार अपने कार्यालय / सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेद हेतु आवश्यक कार्यवाहीं करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 बी0 के0 शुक्ला)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रुद्रप्रयाग